Court No. - 89

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 23754 of 2024

Applicant :- Ankit Singh
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Sudarshan Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary,J.

1. आवेदक की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, परिवाद सं० 3549 सन 2023, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 504 भा०दं०वि०, थाना चितईपुर, जिला वाराणसी में सिविल जज (सि०डि०) कक्ष सं० 4, वाराणसी द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 15.05.2024 के विरूद्ध योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है , आवेदक ने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है तथा संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश सकारण एवं विधि सम्मत नहीं है , गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद दायर किया गया है। आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धारा का कोई अपराध नहीं बनता है।

4. प्रकरण की विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है।

5. विपक्षी सं० 02 को नोटिस जारी हो। आवेदक की ओर से नोटिस भेजने के संबंध में आवश्यक पैरवी 01 सप्ताह के अन्दर की जाय।

6. विपक्षीगण 04 सप्ताह में प्रतिशपथपत्र दाखिल करें। तत्पश्चात् आवेदक की ओर से 02 सप्ताह में प्रत्युत्तरशपथपत्र दाखिल किया जाय।

7. तत्पश्चात् इस वाद को उपयुक्त न्यायपीठ के समक्ष अविलम्ब सूचीबद्ध किया जाय।

8. उपरोक्त वर्णित वाद में आवेदक के विरूद्ध अग्रिम आदेश तक कोई प्रपीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी।

Order Date :- 25.7.2024
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad